भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 145

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

उच्च शिक्षा के लिए कुल नामांकन अनुपात

***145. श्री सनातन पांडेय:**

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत में उत्तर प्रदेश और गुजरात में राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए कुल नामांकन अनुपात (जीईआर) क्या था;
(ख) उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन का महिला/पुरुषवार ब्यौरा क्या है;
(ग) उत्तर प्रदेश के बलिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और गुजरात के वलसाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुलभता को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता संबंधी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा कुल नामांकन अनुपात को बढ़ाने और विशेष रूप से अल्प-सेवित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुलभता की स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय और पहल की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

"उच्च शिक्षा के लिए कुल नामांकन अनुपात" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सनातन पांडेय और श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल द्वारा पूछे गए दिनांक 10.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2022-23 (अनंतिम) के लिए 29.5 है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए वर्ष 2022-23 (अनंतिम) में जीईआर क्रमशः 26.2 और 25.4 है। इसकी तुलना में, एआईएसएचई के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष वर्ष 2014-15 के लिए जीईआर 23.7 था, जिसमें उत्तर प्रदेश का जीईआर 23.4 और गुजरात का जीईआर 20 था।

(ख) एआईएसएचई **2022-23 (**अनंतिम) के अनुसार, कुल नामांकित **4.46** करोड़ छात्रों में से **2.29** करोड़ (**51.3%)** पुरुष और **2.17** करोड़ (**48.7%)** महिलाएं हैं।

(ग) सरकार सभी छात्रों तक उच्चतर शिक्षा की पहुँच को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और गुजरात के वलसाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाओं के साथ-साथ वित्तीय सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति और वित्तीय सहायता योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

1. शिक्षा मंत्रालय
   - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) 4 घटकों के साथ:
     (क) पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (पीएम-यूएसपी सीएसआईएस)
     (ख) शिक्षा ऋण के लिए पीएम-यूएसपी क्रेडिट गारंटी फंड योजना (पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल)
     (ग) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (पीएम-यूएसपी सीएसएसएस)
     (घ) जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएम-यूएसपी एसएसएस जेकेएल)
   - प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (प्रधानमंत्री-विद्यालक्ष्मी)

- प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति (पीएमआरएफ)

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):
   - ईशान उदय एनईआर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं
   - स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
   - यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा -जूनियर रिसर्च अध्येतावृत्ति (नेट-जेआरएफ)
   - सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एकल बालिका अध्येतावृत्ति

3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):
   - एआईसीटीई स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना
   - विशेष रूप से लड़कियों के लिए एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा)
   - लड़कों और लड़कियों के लिए एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा)
   - कोविड के दौरान माता-पिता को खोने वाले छात्रों के लिए एआईसीटीई - स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री और डिप्लोमा)
   - एआईसीटीई डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (एडीएफ)
   - छात्राओं के लिए एआईसीटीई सरस्वती छात्रवृत्ति योजना (बीबीए, बीसीए और बीएमएस डिग्री)
   - एआईसीटीई यशस्वी (यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप और समग्र शैक्षणिक कौशल उद्यम पहल) योजना 2024
   - एआईसीटीई पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (पीडीएफ)

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   - एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
   - ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
   - ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में उच्च श्रेणी की शिक्षा
   - विकलांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
   - अनुसूचित जातियों (एससी) के यंग एचीवर्स के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) जिसमें 4 उप-योजनाएँ शामिल हैं
     क) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की छात्रवृत्ति योजना (टीसीएस)

ख) एससी, ओबीसी और पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम (एफ़सीएस) के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग

ग) अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना (एनओएस) और

घ) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफ़एससी)।

5. जनजातीय कार्य मंत्रालय

- एसटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XI और ऊपर)
- एसटी छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (इन्सपाइर)"

7. पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

- उच्चतर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के छात्रों को वित्तीय सहायता (एनईआर मेरिट छात्रवृत्ति)

(घ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश उच्चतर शिक्षा संस्थान संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र और राज्य मिलकर देश के छात्रों, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और वंचित समुदायों के छात्रों की शैक्षिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार की कुछ पहल इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और सरकार ने उच्चतर शिक्षा में जीईआर को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i) अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों स्थापित करना- वर्ष 2014-15 से 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 7 आईआईटी, 8 आईआईएम और 16 आईआईआईटी स्थापित किए गए हैं।

ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों तथा वंचित क्षेत्रों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर) को गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर पूर्ण मुक्त दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति देना।

iv) उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अत्यंत आवश्यक लचीलापन और उपयुक्त निकास तथा पुनः प्रवेश के विकल्प उपलब्ध कराना, ताकि विद्यार्थियों को अपनी अधिगम की दिशा चुनने में सुविधा हो।

v) एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति देना।

vi) उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार प्रवेश की अनुमति देना।

vii) युवा आकांक्षी व्यक्तियों के लिए सक्रिय शिक्षण हेतु स्टडी वेब्स (स्वयं) मंच के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों को किसी भी समय, कहीं भी अधिगम के अवसर प्रदान करना, जो कई विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करता है।

viii) स्वयं प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति देना।

ix) छात्रों की सुविधा के लिए जेईई, नीट (यूजी) और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) परीक्षाओं को 13 भाषाओं में आयोजित करना और विशेष रूप से स्थानीय/ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।

2. शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) योजना को लागू कर रहा है, जिसमें विभिन्न घटकों जैसे बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान (मान्यता प्राप्त और गैर-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय), कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान (मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेज), नए मॉडल डिग्री कॉलेज और जेंडर समावेशन और समानता पहल के तहत सहयोग के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता में सुधार की परिकल्पना की गई है।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्चतर शिक्षा तक पहुँच और समानता बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है। यह पिछड़े क्षेत्रों और जिलों में अध्ययन केंद्र स्थापित करके समाज और क्षेत्रों के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देता है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में उच्च शिक्षा/अनुसंधान करने के लिए छात्रों/शोधार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

   - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना इन क्षेत्रों के छात्रों को संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बाहर के संस्थानों में स्नातक और एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
   - उच्चतर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता (एनईआर मेधा छात्रवृत्ति): इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य किसी मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान में विभिन्न विषयों में अध्ययन कर रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
   - यूजीसी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य स्नातक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना, उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करना है।

****S*